

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID:-MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE :-www.msrgy.rajasthan.gov.in
क्रमांक:एफ56(क)(18832)CE/DLB/MSRGY/2025/14435-14745 दिनांक: 03/11/2025

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत लम्बित बिल भुगतान की सूचना उपलब्ध करवाने
संबंध में।

संदर्भ:-निदेशालय का पत्र क्रमांक :एफ56(क)0CE/DLB/MSRGY/2025/8543-8782 दिनांक
06-06-2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों के मजदूरी बिल पखवाडा समाप्ति उपरान्त 15 दिवस में भुगतान किये जाने का प्रावधान है, किन्तु निकाय स्तर पर समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा SNA पर रिवर्ट बिल के सम्बंध में त्रुटी सुधार कर पुनः बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण नगरीय निकायो के वर्तमान वित्तीय वर्ष में 80640 लम्बित बिल के प्रकरण शेष है। श्रमिकों को समय पर मजदूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाना योजना के उद्देश्यो के प्रतिकूल है।

अतः आपके निकाय में योजना प्रारम्भ से दिनांक 31.10.2025 तक की अवधी के लम्बित बिल एवं श्रमिकों के शेष भुगतान प्रकरणों का निस्तारण करवाते हुए निकाय के अतिरिक्त अन्य स्तर SNA/ट्रेजरी पर लम्बित बिल/श्रमिक भुगतान शेष के प्रकरणों की सूचना विभाग के निम्नांकित गूगल ड्राईव पर दिनांक 04.11.2025 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

सम्भाग	लम्बित बिल सूचना हेतु गूगल ड्राईव लिंक
जयपुर	https://docs.google.com/spreadsheets/d/15t7qkHlZAfJkynFEXa0fUGLPFPqB5qzZDEu40pXbOc/edit?gid=1992278506#gid=1992278506
अजमेर एवं उदयपुर	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gc_KNxU-9s2gN3wMDSCsOIVCE0qC8--W62XSp6fN67o/edit?usp=sharing
कोटा एवं बीकानेर	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TsJuJqwLyXauiy1sAu9SmCFtpixhx1jOCjJO6YJmDuA/edit?usp=sharing
भरतपुर एवं जोधपुर	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lb52ggloSIIpdIR3BdlUMjGeZn7NLw4KulzyZcorh1o/edit?gid=43582316#gid=43582316

(अरुण व्यास)

परियोजना निदेशक (MSRGY)

दिनांक: 03/11/2025

क्रमांक:एफ56(क)(18832)CE/DLB/MSRGY/2025/14746-14797

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid

Digitally signed by Arun Vyas
Designation: Chief Engineer
Date: 2025.11.03 17:10:37 IST
Reason: Approved



